

उत्तर प्रदेश शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-4  
संख्या-4317 / 77-4-23-सीएम87 / 17  
लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2023

मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि०

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा नौएडा में ग्राम इलाबास, तहसील दादरी के खसरा सं०-123 एवं 155 पर नौएडा प्राधिकरण द्वारा भवन/फ्लैट के निर्माण को रोकने विषयक प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26.05.2017 के विरुद्ध उ०प्र० अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है। प्रकरण में नौएडा से आख्या प्राप्त की गयी। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 09.07.2023 को सुनवाई की गयी, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से श्रीमती लीनू सहगल, महाप्रबन्धक (वास्तु/नियो०) भौतिक रूप से उपस्थित हुई।

2. प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में निम्नवत् अभिकथन प्रस्तुत किए गए:-

- (1) ग्राम इलाहाबास तहसील दादरी के खसरा सं. 123 एवं 155 राजस्व अभिलेखों में कावेरी सहकारी आवास समिति लि० के पक्ष में दर्ज हैं।
- (2) माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी, दादरी गौतमबुद्धनगर तथा माननीय न्यायालय आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के द्वारा अपने आदेशों में उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित कर राजस्व अभिलेखों आदि में अमलदारमद किये जाने के आदेश पारित हैं।
- (3) समिति के सदस्यों की आवासीय समस्या के समाधान हेतु समिति के द्वारा भवन निर्माण हेतु राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस आशय की पुष्टि कराते हुए कि संदर्भित भूमि पर जिला पंचायत का नियंत्रण है, निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर यथा विभागों से भवन निर्माण के संबंध में आवश्यक अनापत्तियाँ प्राप्त करते हुए तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया, जिसे अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गौतमबुद्ध नगर के द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.08.2013 के माध्यम से स्वीकृत किया गया।
- (4) भवन मानचित्र स्वीकृति के उपरांत समिति के द्वारा स्थल पर भवन निर्माण प्रारम्भ किया गया जिसे नौएडा प्राधिकरण के द्वारा भूमि उसके अधिसूचित क्षेत्र में होने तथा उसके अधिकार क्षेत्र में होने के कारण निर्माण कार्य रोकने तथा निर्माण हटाने हेतु नोटिस जारी किये गये।
- (5) प्राधिकरण के इस कृत्य के विरुद्ध समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्धारित अवधि में सुनवाई कर अपने निर्णय से अवगत कराने के निर्देश दिये गये। प्राधिकरण के मुख्य

- कार्यपालक अधिकारी के द्वारा दिनांक 26.05.2017 को कावेरी सहकारी आवास समिति लि० के प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया है।
- (6) बिन्दु विचारणीय है कि नौएडा प्राधिकरण के द्वारा केवल भूमि के अधिसूचित क्षेत्र में होने का उल्लेख करते हुए उसके नियमों के अन्तर्गत प्रत्यावेदनों को निरस्त किया गया है जबकि वर्ष 1989 से आज तक नौएडा प्राधिकरण के द्वारा संदर्भित भूमि को अर्जित कर राजस्व अभिलेखों में अपने पक्ष में दर्ज नहीं कराया गया।
- (7) संदर्भित भूमि राजस्व न्यायालयों / राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा अकृषक घोषित होने तथा भूमि पर जिला पंचायत का नियंत्रण होने के विधिक अभिमत के पश्चात जिला पंचायत के द्वारा भूमि पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए स्वीकृत किये गये हैं।
- (8) प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पूर्व से ही अनर्जित भूमि पर कतिपय आवासीय समितियों तथा जन सामान्य के द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है, उन पर प्राधिकरण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि उनमें से कतिपय के द्वारा जिला पंचायत / नौएडा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराये गये होंगे। इसके साथ ही कतिपय व्यक्तियों के द्वारा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर निर्माण कर विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है, के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इन सभी में प्राधिकरण के द्वारा अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनका अनुरक्षण भी किया जा रहा है, जबकि कावेरी सहकारी आवास समिति के द्वारा सभी वैधानिक कार्यवाहियाँ पूर्ण कर भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराया जा रहा है।
- (9) कावेरी सहकारी आवासीय समिति के प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण उसकी अवस्थापना सुविधाओं का उपयोग किये जाने के संदर्भ में समिति के द्वारा निर्माण के कम्पाउन्डिंग किये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे नौएडा प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकार की अन्य आधिकारिक वैधानिक प्रतिष्ठानों / संस्थानों के द्वारा दी गई अनुमतियों को केवल इस आधार पर कि यह उसके अधिसूचित क्षेत्र में है, स्वीकार नहीं किया जा रहा है।
- (10) समिति तथा समिति के सदस्यों के द्वारा भवन निर्माण हेतु विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थानों यथा पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि से ऋण प्राप्त किया है। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा समिति तथा उसके सदस्यों को ऋण शासन के विभिन्न विभागों से भूमि के स्वामित्व, समिति के अभिलेखों, शासन की विभिन्न वैधानिक / शासकीय संस्थाओं से निर्गत अनापत्तियों तथा स्वीकृतियों की पुष्टि के पश्चात दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 को आधार बनाकर समिति का निर्माण कार्य अब नौएडा प्राधिकरण के द्वारा रोकने का हुक्म सुना दिया गया है जिससे समिति के सदस्यों के सामने दोहरी परेशानी उत्पन्न हो गई है। एक ओर बैंकों के ऋण की अदायगी की जा रही है और दूसरी ओर आवास की समस्या प्राधिकरण के द्वारा उत्पन्न कर दी गई है।
- (11) यदि औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्रभावी होने की तिथि से पूरे अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा प्राधिकरण का प्रशासकीय नियंत्रण हो गया था तो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अन्य विभाग को इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनुमति / अनापत्ति निर्गत करने तथा कोई

अन्य कार्य करने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए थी जो नहीं लगाई गई थी। उपरोक्तानुसार रोक लगा दी गई होती तो न तो समितियों का पंजीकरण होता और न ही पंचायत तथा अन्य विभागों द्वारा अपने क्षेत्राधीन अधिकारों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ प्रदान की जाती और इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी / तहसीलदार के द्वारा भूमि के उपयोग परिवर्तन आदि के आदेश पारित नहीं किये जाते।

- (12) नौएडा प्राधिकरण को अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र नियोजन एवं विकास का दायित्व दिया गया है तथा क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है। कावेरी समिति के द्वारा नौएडा के नियोजन मानकों / रेगुलेशन्स के है। अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा समिति बाह्य विकास शुल्क व मानचित्र स्वीकृति / अधिभोग हेतु प्राधिकरण के नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क देने को तैयार है।

तदनुसार प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरुद्ध याची द्वारा Under section 43 (3) of U-P- Urban Planning & Development Act 1973 as adopted to the U-P- Industrial Area Development Act, 1976 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत कर भवन निर्माण पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रश्नगत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में नौएडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में तथा सुनवाई के समय निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए:-

- प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है एवं निर्धारित उपयोग हेतु भूमि आवंटित की जाती है। जिसका उल्लेख पट्टा प्रलेख में भी होता है। तदनुसार ही भवन मानचित्र नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। भवन मानचित्र अनुमोदन कराने हेतु भवन विनियामवली के अनुसार प्रपत्र जमा कराने होते हैं एवं भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं।
- यह उल्लेखनीय है कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के उपरांत विकास व आवंटन का कार्य किया जाता है, आवंटित भूखण्डों का पट्टा प्रलेख होने के उपरांत भवन मानचित्र भवन विनियमावली, 2010 की सूची-1बी के अनुसार अनुमोदित किये जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पट्टा प्रलेख कराने वाला आवेदक भूमि का अधिकृत आवंटी है। तदोपरान्त ही भूखण्ड के मानचित्र अनुमोदित किये जाते हैं।
  - संदर्भित प्रकरण में यह अवगत कराना है कि कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा ग्राम-इलाबास, नौएडा के खसरा सं० 123 व 155 की भूमि वर्ष 2005-06 में विभिन्न कृषको से क़य की गयी थी। तत्समय नौएडा प्राधिकरण की महायोजना 2021 प्रभावी थी।
  - कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा खसरा सं० 123 व 155 को यू०पी०जैड०ए० एण्ड एल०आर० एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2008 में अकृषक घोषित करा लिया गया था। वर्ष 2013 में समिति द्वारा निर्माण कार्य अनाधिकृत रूप से प्रारम्भ किया गया, जिसको नौएडा प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के रूप में रोका गया। समिति द्वारा प्लैट्स का विक्रय किया जा रहा था, जिसपर नौएडा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 में रोक लगा दी गयी।
  - यह भी अवगत कराना है कि कावेरी सहकारी आवास समिति लि० को नौएडा प्राधिकरण कोई भी भूमि आवंटित नहीं की गयी थी, जबकि प्राधिकरण का यह नियम है कि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा महायोजन

के विपरीत कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है । प्रश्नगत भूमि के अधिसूचित क्षेत्र का भाग होने के कारण इस भूमि पर अवैध / अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु दिनांक 23.09.2014 को परियोजना अभियंता एवं तहसीलदार द्वारा संयुक्त नोटिस जारी किया गया, जिसके संदर्भ में मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा रिट याचिका संव 36329 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2016 के कम में प्राप्त आवेदन को देखा गया एवं आवेदक को प्रतिनिधि सुना गया ।

- सुनवाई के उपरांत मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० को प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए निस्तारित किया गया, जिसमें यह इंगित है कि—

“मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा ग्राम— इलाबास के खसरा सं० 123 व 155 में किया गया निर्माण नियमित (compound) अथवा स्वीकृति योग्य नहीं है । अतः प्रत्यावेदन दिनांक 05.04.2016 को निरस्त करते हुए निस्तारित किया जाता है, जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को भी दी गयी ।”

- याची कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरुद्ध पुनः माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये कि प्राधिकरण अपने आदेश दिनांक 27.06.2016 को वापिस ले एवं याची को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करें।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.02.2016 व 11.08.2016 के क्रम में आवेदक की सुनवाई पुनः तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 01.05.2017 को की गयी। सुनवाई के उपरांत मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० का प्रत्यावेदन इस आशय के साथ निरस्त कर दिया गया कि नौएडा महायोजना 2021 के जोनिंग रेगूलेशन तथा नौएडा महायोजना 2031 के जोनिंग रेगूलेशन 7.3.1 के अनुसार विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रों में अनुमन्य किया / उपयोग के अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग जोन / सैक्टर में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण प्रतिबन्धित है। नौएडा महायोजना के प्राविधानों के अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग जोन / सैक्टर में ग्रुप हाउसिंग अनुमन्य न होने के कारण भवन विनियमावली के प्रस्तर से 6 (10) (पूर्व में नौएडा भवन विनियमावली एवं निर्देश, 2006 के प्रस्तर सं० 12.10) के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण को समायोजना शुल्क के साथ नियमित नहीं किया जा सकता है।
- तदोपरान्त अपर मुख्य सचिव व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2018 को मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० के प्रकरण में सुनवाई की गयी एवं मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० के प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा द्वारा शासन को दिनांक 23.08.2018 को यह पत्र प्रेषित किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत प्रस्तुत है:—

1. उल्लेखनीय है कि मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा वर्ष 2005-06 रु विभिन्न कृषकों से क्रय की गयी खसरा सं० 123 व 155 ग्राम इलाबास की भूमि का भू- उपयोग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.09.2005 को अनुमोदित महायोजना 2021 के — अनुसार —

औद्योगिक सैक्टर (सूक्ष्मस्तर पर औद्योगिक, सड़क एवं हरित था । नौएडा महायोजना - 2021 उ०प्र० शासन से दिनांक 31.08.2006 को अनुमोदित हुई । वर्तमान में प्रभावी नौएडा महायोजना 2031 के अनुसार भी संदर्भित खसरों की भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक सैक्टर (सूक्ष्म स्तर पर औद्योगिक, सड़क एवं हरित) है ।

2. दिनांक 01.06.2018 को प्रेषित प्रत्यावेदन के बिन्दु सं० 2 के सम्बन्ध में अवगत कराना है। कि खसरा नं० 123 व 155 ग्राम- इलाबास की भूमि ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत नहीं आ रही है बल्कि महायोजना 2021 व 2031 के औद्योगिक सैक्टर के अन्तर्गत आ रही है। नौएडा महायोजना 2021 एवं 2031, एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड के संदर्भित किया गया था । एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड द्वारा दिये गये सुझावों को महायोजना में समावेश किया गया । प्रत्यावेदक का यह कथन गलत है कि एन०सी०आर० प्लानिंग बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है । महायोजना के अनुसार भूमि का अधिग्रहण / क्रय करना सतत् प्रक्रिया है। नौएडा महायोजना 2021 दिनांक 31.08.2006 से प्रभावी हुई थी एवं संदर्भित खसरा सं० 155 क्षेत्रफल 1.003 हेक्टेयर भूमि को उप जिलाधिकारी, दादरी द्वारा दिनांक 06.08.2008 को धारा - 143 यू.पी. जैड. ए. एण्ड एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया गया था। खसरा सं० 123 क्षेत्रफल 1.278 हेक्टेयर भूमि को उप जिलाधिकारी, दादरी द्वारा दिनांक 16.08.2011 को धारा 143 यू.पी. जैड. ए. एण्ड एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया गया था अर्थात् प्रश्नगत भूमि का महायोजना के अनुसार भू-उपयोग औद्योगिक होने के उपरांत भी आवास समिति द्वारा संदर्भित खसरों की भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कराया गया था। नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में नौएडा की महायोजना के विपरीत कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है। समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि, जिसका भू-उपयोग नौएडा महायोजना 2031 के अनुसार औद्योगिक है, पर महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत बहुमंजिला (ग्रुप हाऊसिंग) भवन का निर्माण किया गया है, उसे नौएडा महायोजना 2021 व 2031 एवं भवन विनियमावली के प्राविधानों के अनुसार नियमित नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष:-

जिस समय मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० को नौएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी तथा आवेदक द्वारा भूमि का क्रय किया गया एवं राजस्व अभिलेखों में धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित करायी गयी तत्समय नौएडा महायोजना 2021 प्रभावी थी एवं महायोजना के अनुसार अकृषक भूमि पर ग्रुप हाऊसिंग का निर्माण अनुमन्य नहीं था। जैसा कि पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने के उपरांत अवस्थापना सुविधाएँ विकसित की जाती है, जिससे जनसामान्य को नियोजित विकास का लाभ मिल सके।

क्षेत्र के विकास करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का आवंटन किया जाता व आवंटन के उपरान्त नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं।

4. उभय पक्षों की विस्तृत सुनवाई तथा पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपनी याचिका तथा सुनवाई के समय प्रस्तुत किए गए तथ्यों तथा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर सम्यक विश्लेषणोपरान्त यह पाया गया कि नौएडा महायोजना, 2021 के जोनिंग रेगुलेशनस तथा नौएडा महायोजना, 2021 के जोनिंग रेगुलेशन 7.3.1 के अनुसार विभिन्न भू-उपयोग क्षेत्रों में अनुमन्य किया/उपयोग जोन/सेक्टर में गुप हाउसिंग का निर्माण प्रतिबन्धित है। नौएडा महायोजना के प्राविधानों के अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग जोन/सेक्टर में गुप हाउसिंग अनुमन्य न होने के कारण भवन विनियमावली के प्रस्तर सं० 6(10) (पूर्व में नौएडा भवन विनियमावली एवं निर्देश, 2006 के प्रस्तर सं० 12.10) के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण को समायोजना शुल्क के साथ नियमित नहीं किया जा सकता है। मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० को नौएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी तथा आवेदक द्वारा जिस समय भूमि का क्रय किया गया एवं राजस्व अभिलेखों में धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक भूमि घोषित करायी गयी तत्समय नौएडा महायोजना 2021 प्रभावी थी एवं महायोजना के अनुसार अकृषक भूमि पर गुप हाउसिंग का निर्माण अनुमन्य नहीं था। याची प्राधिकरण का आवंटी नहीं है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार मैसर्स कावेरी सहकारी आवास समिति लि० द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण पुनरीक्षण याचिका में किया गया अनुरोध स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।


उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी मै० कावेरी सहकारी आवास समिति लि० की पुनरीक्षण याचिका एतद्वारा निस्तारित की जाती है।

मनोज कुमार सिंह  
अवस्थापना एवं औद्योगिक  
विकास आयुक्त।

संख्या:-4317 (1)/77-4-23तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. कावेरी सहकारी आवास समिति लि०, 303 तृतीय तल देविका टावर, पो०-चन्द्र नगर, जिला-गाजियाबाद, उ०प्र०-201011
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(शैलेन्द्र कुमार)  
अनु सचिव।